

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 बनेडा

- आदेश -

प्राथी के खाला दुसरी प्राथना पत्र एव पटवारी श्री. राजेश व भूअनि. श्री. राजेश की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशला के आधार पर सदास्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 जो धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री. राजेश तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जगहबन्दी संख्या 68, 64, 210 के वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सम्वर्द्धित 68, 64, 210 के वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से

सुद्ध किशा जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं-

क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (असुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (सुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>श्री. राजेश</u>	<u>68, 64, 210</u>	<u>श्री. राजेश</u>	<u>श्री. राजेश</u>
		<u>364</u>	<u>श्री. राजेश</u>	<u>श्री. राजेश</u>

(रतन सिंह शेरार)  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा

दिनांक - 15/18

क्रमक - 174/18

प्रातिनिधि -

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद शीघ्र किशा जाकर पालन रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राथी श्री श्री. राजेश को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली

(रतन सिंह शेरार)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा